



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2018/अग्रहायण 21, 1940

No. 393]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2018/AGRAHAYANA 21, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2018

सं. 58/2015-2020

विषय:—प्रक्रिया पुस्तक (2015-20) के पैरा 2.63 में संशोधन।

फा. सं. 01/93/180/67/एएम-16/पीसी-2(ख)/2/ई-13500.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015-20) के पैरा 2.63(क) में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

एचबीपी पैरा	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2.63(क): राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या मेलों और प्रदर्शनों के लिए अपेक्षित प्रदर्शित वस्तुएं	पुनः निर्यात/पुनः आयात आधार पर छः महीने की अवधि के लिए प्रदर्शनियों, मेलों या इसी प्रकार के शो या डिस्प्ले में विदेशी/भारतीय प्रदर्शकों के अस्थायी स्टैंडों के लिए आवश्यक निर्माण और सजावटी सामग्रियों सहित प्रदर्शनी की वस्तुओं जिनका मुक्त रूप से आयात/निर्यात किया जा सकता है, का आयात/निर्यात सीमा शुल्क विभाग या एटीए कार्नेट को बाँड/प्रतिभूति जमा करने पर प्राधिकार पत्र के बिना अनुमत होगा।	“प्रतिबंधित” या स्कोमेट सूची की मदों को छोड़कर, पुनः निर्यात/पुनः आयात आधार पर छः महीने की अवधि के लिए प्रदर्शनियों, मेलों या इसी प्रकार के शो या डिस्प्ले में विदेशी/भारतीय प्रदर्शकों के अस्थायी स्टैंडों के लिए आवश्यक निर्माण और सजावटी सामग्रियों सहित प्रदर्शनी की वस्तुओं का आयात/निर्यात सीमा शुल्क विभाग या एटीए कार्नेट को बाँड/प्रतिभूति जमा करने पर प्राधिकार पत्र के बिना अनुमत होगा।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक (2015-20) के पैरा 2.63(क) के तहत प्रावधानों में संशोधन किया जाता है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th December, 2018

No. 58/2015-2020

Subject: —Amendment of Para 2.63 of the Handbook of Procedure (2015-20).

F.No. 01/93/180/67/AM-16/PC-2 (B)/2/e-13500.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends para 2.63(a) of the Handbook of Procedure (2015-20) as under:

HBP Para	Existing Provision	Revised Provision
2.63 (a) : Exhibits Required for National and International Exhibitions or Fairs and Demonstration	Import / export of exhibits, which are freely importable/exportable, including construction and decorative materials required for the temporary stands of foreign/Indian exhibitors at exhibitions, fair or similar show or display for a period of six months on re-export/re-import basis, shall be allowed without an Authorisation on submission of a bond/security to Customs or ATA Carnet.	Importexport of exhibits including the construction and decorative materials, excepts items in the 'Prohibited' or SCOMET List, required for the temporary stands of foreign / Indian exhibitors at exhibitions, fair or similar show or display for a period of six months on re-export/re-import basis, shall be allowed without an Authorisation on submission of a bond/security to Customs or ATA Carnet.

2. **Effect of this Public Notice:** Provisions under Para 2.63 (a) of Handbook of Procedure (2015-20) is amended.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.